

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-100/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० नेहा फातिमा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा दिनांक 16.09.2020 से 29.03.2022 तक अध्ययन में बितायी गयी अवधि को विभागीय पत्रांक-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश में रूप में विनियमित किया जाता है।

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-100/2025- 1852/25 पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० नेहा फातिमा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/2026
सरकार के अवर सचिव